वर्ष 2013-14 के
वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2013–14

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान सूचित की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप लेकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण–I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया जाता है, जितना कि इस अंशदान/सहायता अनुदान में अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i. अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत / निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियां मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती हैं।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू–भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परिकलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गयी पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और

अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू–अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कारपोरेट ऑफिस के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल परिसंपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर भिन्नित कर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आवंटित कर दिया जाता है। कॉरपोरेट आफिस/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (निवल) को चल रहे पूंजीगत कार्य में उसमें वर्षों के आधार पर जोड़ लिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय (ईंसीसी) को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्हं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो, विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हों, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उन दरों पर किया जाता है, जिन पर सौदा किया गया था।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख की बन्द दर पर प्रयोग की जाती है। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों से संबंधित देय राशियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगति पर पूँजीगत कार्य से समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें वे उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के द्वारा पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के

बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है। विनिमय दरों में घट-बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बड़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. 1500/- रुपये तक की कम लागत वाली सामग्री जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन्हें राजस्व से वसूला जाता है।

iii. 1500/- रुपये से अधिक पर 5000/-रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है। मशीनों के कल-पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

8. भंडार तथा अतिरिक्त कल-पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल-पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय की मान्यता

i. सर्जा बिक्री का लेखाकरण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उधा पावर स्टेशन के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभारों' की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत स्टेशनों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/ लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशियों का हिसाब अनंतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. सर्जा बिक्री तथा परिनिर्धारित नुकसानी/ वारंटी दावों के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अभिभार को वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी बाद की आधार के सुनिश्चित होने पर इसे हिसाब में शामिल किया जाता है।

iv. परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति / तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित

परानशी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाएगा।

v. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गये अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

vi. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय किया जाता है।

vii. बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में किया जाता है।

व्यय

viii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल-पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

ix. प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपये या उससे कम की मदों के पहले दिए गये खर्च या पूर्वावधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

x. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

xi. व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

xii. पूर्ववर्ती वर्ष के लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों, सततता विकास और अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

11. कर्मचारियों के हितलाभ

i. कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी, जैसा कि एएस-15 में परिभाषित किया गया है, का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को पूरी तरह से व्यय के वर्ष में प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन-पत्र की तारीख तक पारित किये गये कानूनों के आधार पर होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाए जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह विवरण लेखाकरण मानक (एएस)-3 के "नगदी प्रवाह विवरण" से संबंधित निर्धारित प्रारूप तरीके से तैयार किया जाता है।

तुलन–पत्र 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां					
क) शेयर पूंजी	1	3,47,309		3,44,309	
ख) प्रारक्षित निधि और अतिरिक्त राशि	2	3,85,815	7,33,124	3,32,840	6,77,149
गैर चालू देनदारियां					
क) दीर्घकालिक ऋण	3	3,07,082		3,46,624	
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	4	23,302		23,364	
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	22,338	3,52,722	20,305	3,90,293
चालू देनदारियां					
क) अल्पकालिक ऋण	6	63,359		1,25,512	
ख) व्यापार देयताएं	7	24		34	
ग) अन्य चालू देनदारिया	8	69,917		72,086	
घ) अल्पकालिक प्रावधान	9	16,175	1,49,475	13,031	2,13,963
योग			12,35,321		12,81,405
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	8,43,416		8,79,498	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	74		109	
(iii) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	11	1,11,712	9,55,202	78,519	9,58,126
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		38,108		25,188
ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13		57,702		59,744
घ) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां	14		162		49

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
क) वस्तु सूचियां	15	3,351		2,558	
ख) प्राप्य व्यापार	16	1,72,416		2,30,701	
ग) नकदी तथा नकदी समकक्ष राशियां	17	7,742		1,509	
घ) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	18	5,537		2,745	
ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	1,171	1,90,147	685	2,38,298
योग			12,35,721		12,61,405

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. वसु अहमद)
कंपनी सचिव

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते गाटिया एंड गाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत गाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507632

दिनांक : 27.06.2014
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	20		2,06,870		1,95,614
अन्य आय	21		11,568		7,039
कुल राजस्व			2,18,438		2,02,653
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		18,854		19,323
वित्त लागत	23		53,027		60,510
मूल्यह्रास और परिशोधन	10		48,132		47,435
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	24		15,370		15,158
प्रावधान	25		0		24
प्रशुल्क समायोजन (विनियामक देनदारी)			15,192		0
कुल व्यय			1,50,585		1,42,450
पूर्वावधि मदों और कर पूर्व लाभ			67,673		60,173
पूर्वावधि व्यय (आय)–निवल	26		1,076		422
कर पूर्व लाभ			66,597		59,751
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आयकर		13,952		11,953	
संपत्ति कर		33	13,985	32	11,985
आस्थगित कर–परिसंपत्ति		(6,920)	(6,920)	(5,378)	(5,378)
वर्ष के लिए लाभ			59,532		53,144

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रति इक्विटी शेयर आय					
मूल (₹)			172.88		157.86
तनूकृत (₹)			172.88		157.86

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 27.08.2014
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन:–		67,673		60,173
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
मूल्यह्रास	49,028		47,622	
प्रावधान	-		24	
आस्थगित मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम	(1,619)		(5,441)	
ऋणों पर ब्याज	53,027		60,510	
पूर्वावधि समायोजन	(1,076)	99,360	(422)	1,02,493
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		1,67,033		1,62,666
निम्नलिखित के लिए समायोजन:–				
माल सूची	(823)		(820)	
प्राप्य व्यापार	58,285		(39,804)	
अन्य परिसंपत्तियां	(586)		(185)	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान + गैर वर्तमान)	(3,555)		(648)	
व्यापार देय और देनदारियां	1,711		835	
प्रावधान (वर्तमान + गैर वर्तमान)	5,177	60,209	(24,325)	(64,996)
प्रचालनों से प्राप्त नगदी		2,27,242		97,669
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर		(13,985)		(11,985)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		2,13,257		85,683
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन:–				
अचल परिसंपत्तियां तथा सीडब्ल्यूआईपी	(52,661)		(35,204)	
निर्माण स्टोर	(13)		459	
पूंजी अग्रिम	2,905		(1,102)	
विविध व्यय (समायोजन की सीमा तक)	-		10	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		(49,769)		(35,837)

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	3,000		10,051	
उधारियां	(1,07,328)		(11,585)	
ऋणों पर ब्याज	(53,027)		(60,510)	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	0		0	
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ग)		(1,57,355)		(62,044)
घ. वर्ष के दौरान निवल नगदी प्रवाह (क+ख+ग)		6,133		(12,175)
ङ आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		1,609		13,787
च. अंतिम नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ+ङ)		7,742		1,609

टिप्पणी :

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 60 लाख ₹ (पूर्ववर्ती वर्ष में 60 लाख ₹) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध / पुनर्व्यवस्थित / पुनः वर्गीत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(श्रीधर मात्रा)	(आर. एस. टी. शाह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 27.08.2014
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी :– 1

शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/–रु. के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी 1000/–रु. प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,47,30,917	3,47,309	3,44,30,917	3,44,309
कुल		3,47,30,917	3,47,309	3,44,30,917	3,44,309

टिप्पणी :– 1.1

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,44,30,917	3,44,309	3,29,75,817	3,29,758
निर्गत		3,00,000	3,000	14,55,100	14,551
घटौती		0	0	0	0
अंतिम		3,47,30,917	3,47,309	3,44,30,917	3,44,309

टिप्पणी :– 1.2

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. भारत सरकार		2,53,81,517	73.06	2,50,81,517	72.80
II. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	26.93	93,49,400	27.15
कुल		3,47,30,917	100.00	3,44,30,917	100.00

टिप्पणी :- 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उ.प्र.सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान		1,44,134		1,44,134	
घटाएं:					
बकाया अंशदान		15		15	
प्राप्त अंशदान		1,44,119		1,44,119	
घटाएं:					
मूल्यह्रास में समायोजन		40,916	1,03,203	34,359	1,09,760
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजना के लिए)					
आरंभिक शेष		472		472	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	472	0	472
उप जोड़ "क"			1,03,675		1,10,232
लाभ और हानि लेखे में अधिशेष					
आरंभिक शेष		2,22,608		1,69,470	
जोड़ें: लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ		69,532		53,138	
विनियोजन के लिए कुल लाभ			2,92,140		2,22,608
उप जोड़ "ख"			2,92,140		2,22,608
उप जोड़–"ग" (क+ख)			3,95,815		3,32,840
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)					
आरंभिक शेष		0		10	
वर्ष के दौरान वृद्धि		0		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	0	(10)	0
उप जोड़ "घ"			0		0
कुल (ग–घ)			3,95,815		3,32,840

2.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 और 2012–13 के किसी लाभांश का प्रस्ताव/घोषणा नहीं की है और न ही भुगतान किया है।

टिप्पणी :– 3

दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
क. प्रतिभूत					
मावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी) –78302001 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 जुलाई, 2005 से 15 अप्रैल, 2015 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, जिस पर 9.75 प्रतिशत से 10.75 प्रतिशत के बीच फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			3,015		15,075
मावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी) –78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 अक्तूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			76,736		85,764
मावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302002 (केएचईपी के लिए)#					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			75,975		90,675
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए– जीई–पीएसयू–033 –2010– 3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय 10.75 से 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			50,804		57,611
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)–330001 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच)			71,221		83,007

राशि लाख रु में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई)– 32677062247 (टिहरी पीएसपी के लिए)##					
स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2028 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर @ आधार दर +1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 11.2 प्रतिशत)			17,000		15,500
कुल (क)			2,97,751		3,45,732
ख. अप्रतिभूत					
विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (बीपीएचईपी के लिए)$					
(15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर @ एलआईबी ओआर+भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 0.63 प्रतिशत)			9,331		802
कुल (ख)			9,331		802
कुल (क+ख)			3,07,082		3,46,534

* टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उपस्करों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

\# कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

\#\# टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

$ संबंधित ऋण रीकिंग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी :– 4

अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के बाबत आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		22,890		28,331	
जोड़ें: वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित		1,619	21,271	5,441	22,890
देनदारियां					
पूंजी व्यय के लिए		8		15	
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		4	12	1	16
ठेकेदारों आदि से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		2,019		455	
अन्य देनदारियां		0	2,019	3	458
कुल			23,302		23,364

4.1 मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) के तहत दिखाई गई राशि टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान एकत्रित कर ली गई है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009–2014 में एएडी का प्रावधान वापस ले लिया गया है। तदनुसार परवर्ती वर्षों में एएडी के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

टिप्पणी :– 5

दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		20,078	5,624	(3,158)	(454)	22,090
II. अन्य		227	21	0	0	248
कुल		20,305	5,645	(3,158)	(454)	22,338
पूववर्ती वर्ष के आंकड़े		18,532	4,456	(2,351)	(332)	20,305

कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.16 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 6

अल्पकालिक उधारियां

राशि लाख रु में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण :					
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (फ्लोटिंग ब्याज दर 13 प्रतिशत की दर से)			0		2,500
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)* पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग ब्याज दर @आधार दर + 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष अर्थात 10.5 प्रतिशत)			63,359		71,312
कुल (क)			63,359		73,812
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (12.75 प्रतिवर्ष फ्लोटिंग ब्याज दर)			0		25,000
केनरा बैंक (फ्लोटिंग ब्याज दर @आधार दर प्रति वर्ष अर्थात 10.25 प्रतिशत)			0		30,000
कुल (ख)			0		55,000
कुल (क+ख)			63,359		1,28,812

* कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के 63359 लाख रु. का ओडी सुरक्षित है।
वर्ष के दौरान किसी भी ऋण या उसके ब्याज को चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है। इन अल्पकालिक ऋणों को एक वर्ष के भीतर चुकाना है।

टिप्पणी :– 7

व्यापार देय

राशि लाख रु में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार देय–एमएसएमईडी			0		0
व्यापार देय–एमएसएमईडी से इतर			24		34
कुल			24		34

टिप्पणी :– 8

अन्य वर्तमान देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता क. प्रतिभूत* (भारतीय मुद्रा में ऋण)			52,490		52,480
कुल (क)			52,480		52,480
ख. अप्रतिभूत** भारतीय मुद्रा में ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा)			0		2,333
कुल (ख)			0		2,333
कुल (क+ख)			52,480		54,813
देनदारियां					
पूंजीगत व्यय के लिए		5,598		6,377	
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्य के लिए		934	6,532	1,147	7,524
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि अन्य देनदारियां		2,671 2,987	5,658	2,496 1,107	3,603
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		5,047		6,146	
अन्य देनदारियां		0	5,047	0	6,146
कुल			17,437		17,273
कुल देनदारियां			69,917		72,086

*ऊपर दिए गए प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–3 में दिए गए हैं।

**संबंधित ऋण रैकिंग समरूप के अंतर्गत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

टिप्पणी :– 9

अल्पकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. निर्माण कार्य		1,256	296	(103)	(155)	1,294
II. कर्मचारियों से संबंधित		10,009	8,851	(4,301)	(1,287)	13,372
III. अन्य		1,766	5,853	(22)	(6,068)	1,509
कुल		13,031	15,100	(4,426)	(7,530)	16,175
पिछले वर्ष के आंकड़े		39,130	15,174	(13,483)	(27,810)	13,031

कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.16 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 19

अचल परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री /समायोजन	31 मार्च, 2014 के अनुसार	1 अप्रैल, 2013 के अनुसार	1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री /समायोजन	31 मार्च, 2014 के अनुसार	31 मार्च, 2014 के अनुसार	31 मार्च, 2013 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	348	348	-	691	36	12	-	48	643	309
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,453	300	-	3,753		-	-	-	3,753	3,453
3. अधिग्रहित भूमि	1,43,842	5,050	(3)	1,48,889	26,741	4,952	18	31,712	1,17,177	1,17,101
4. भवन	72,094	583	3,037	75,714	6,220	2,803	262	9,085	67,629	65,874
5. अस्थायी भवन आदि	968	3	(3)	968	968	-	-	968	-	-
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	9,873	3,135	(1)	13,007	940	396	1	1,337	11,680	8,894
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,350	30	-	1,380	279	69	-	348	1,032	1,071
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	1,819	226	-	2,045	1,071	47	-	1,118	927	748
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,36,462	438	(1,930)	2,30,970	40,581	18,288	(138)	61,021	1,69,379	1,92,941
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,283	35	(11)	1,307	821	115	(5)	931	376	462
11. विद्युत संस्थापनाएं	816	43	-	859	155	52	-	207	652	663
12. परिवहन वाहनें	1,815	57	-	1,872	443	98	-	541	1,331	1,372
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	3,761	259	(5)	4,015	1,167	243	(1)	1,409	2,606	2,595
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,572	214	(3)	1,783	457	108	(1)	536	1,202	1,062
15. वाहन	1,086	98	(15)	1,168	491	64	(13)	543	625	597
16. रेलवे साइडिंग	128	-	-	128	20	4	-	24	98	108
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,03,228	18	7,002	5,10,228	1,13,280	26,954	740	1,40,994	3,69,302	3,89,958
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, कैनाल्स इत्यादि	1,37,456	-	348	1,37,804	35,411	7,278	38	42,728	95,076	1,02,045
19 निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, पे अप्रयोज्य/अप्रचलित आस्तियां	55	-	(32)	23	-	-	-	-	23	55
20. ऐसी आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं है।	2,815	-	(2,815)	-	2,413	49	(2,462)	-	-	202
उप योग	11,18,940	10,960	7,686	11,37,586	5,40,442	65,248	(1,978)	6,04,119	5,43,416	8,79,498
पिछले वर्ष के आंकड़े	11,06,869	14,079	(806)	11,18,940	1,95,878	34,840	816	2,40,448	8,79,498	9,20,981
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां सॉफ्टवेयर	337	-	-	337	228	35	-	263	74	109
उप योग	337	-	-	337	228	35	-	263	74	109
पिछले वर्ष के आंकड़े	325	12	-	327	186	42	-	228	109	139
मूल्य ह्रास का ब्यौरा					Current Year		Previous Year			
ई.डी.सी को हस्तांतरित मूल्यह्रास					602		491			
लाभ हानि लेखा को हस्तांतरित मूल्यह्रास					48,125		47,635			
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई घटक–आवंटित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजित					6,527	55,251	6,794	54,920		
वर्ष के दौरान रु.1000.00 से अधिक परंतु रु. 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया					18		19			

19.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतरित 14.37 हेक्टेयर भूमि [illegible] के अधिग्रहण मूल्य पर समायोजित किया गया है।

टिप्पणी :– 11

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष लिए				
		01 अप्रैल, 13 की स्थिति अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति अनुसार
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		4,563	2,229	(23)	(2,133)	4,636
सड़क, पुल तथा पुलिया		3,089	926	-	(3,091)	924
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		35	9	-	-	44
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		8,673	16,650	-	(468)	24,855
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार अन्य जलीय कार्य		47,070	16,689	(3)	-	63,756
जलागम क्षेत्र वनीकरण		8	173	-	-	181
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		1,264	1,055	(2)	(57)	2,260
ऐसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं है।		-	-	-	-	-
अन्य		402	-	-	(19)	383
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,816	179	-	-	10,005
विनिमय भिन्नता		-	-	-	-	-
ब्याज लंबित आबंटन	23	-	-	-	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	977	1,833	(977)		1,833
पुनर्वास पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत तथा किराए की नियत वसूलियां)		2,522	706	-	(283)	2,945
योग		78,519	40,249	(1,005)	(6,051)	1,11,712
पिछले वर्ष के आंकड़े		57,051	25,473	(2,216)	(1,817)	78,519

टिप्पणी :– 11.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	22				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		9,531		7,794	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		643		486	
पेंशन निधि		515		385	
उपदान		527		520	
कल्याण		113	11,329	124	9,319
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		91		75	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		365	456	343	418
दर एवं कर			6		4
विद्युत एवं ईंधन			360		419
बीमा			8		5
संभार			129		98
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
भवन		141		92	
अन्य		178	320	146	238
यात्रा एवं वाहन			374		350
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			198		157
सुरक्षा			192		133
प्रचार तथा जनसंपर्क			51		64
अन्य सामान्य व्यय			1,719		535
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			5		3
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			0		1
मूल्यह्रास	10		602		491
कुल व्यय (क)			15,749		12,235
प्राप्तियां					
अन्य आय	21				
ब्याज					
बैंक जमा से		5		10	
कर्मचारियों से		101		71	
अन्य से		4	110	3	84

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
मशीन किराया प्रभार			1		0
किराया प्राप्तियां			64		77
विविध प्राप्तियां			37		143
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			121		160
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0		1
कुल प्राप्तियां (ख)			333		485
पूर्वावधि समायोजन	26		33		4
कराधान से पूर्व निवल व्यय			15,449		11,774
कराधान के लिए प्रावधान	27				
सम्पत्ति कर		9	9	6	6
कराधान सहित निवल व्यय			15,458		11,780
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			977		1,159
कुल ईडीसी			16,435		12,939
घटाएं :					
सीडब्लूआईपी को आवंटित ईडीसी/परिसम्पत्ति		14,229		11,199	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		573	14,802	763	11,962
सीडब्लूआईपी को अग्रेषित शेष			1,633		977

टिप्पणी :– 12

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		41,396	38,421	34,476	31,501
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
कुल			32,108		25,188

टिप्पणी :– 13

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के बाबत		12,430		4,208	
ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		8,054		10,757	
iii) अन्य		23,173		23,154	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		2	43,659	5,445	46,564
उप जोड़–पूंजीगत अग्रिम			43,659		46,564
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,313		2,670	
अप्रतिभूत		1,542	3,855	812	3,482
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		2,055		1,988	
अप्रतिभूत		172	2,227	59	2,047
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		2		0	
अप्रतिभूत		0	2	0	0
निदेशकों को दिए गए ब्याज पर उपार्जित ऋण					
प्रतिभूत		3		4	
अप्रतिभूत		0	3	0	4
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तु रूप में या निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		212		182	
खरीददारों को		0		1	
अन्यों को		7,161	7,373	6,982	7,165
जमा					
प्रतिभूति जमा		191		190	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		391		300	
अन्य जमा		1	583	1	491
उप–जोड़			14,043		13,189
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		9
उप जोड़– अग्रिम			14,043		13,180
कुल ऋण और अग्रिम			57,702		59,744
नोट: निदेशकों द्वारा देय					
मूल			2		0
ब्याज			3		4
योग			5		4
अधिकारियों द्वारा देय					
मूल			4		1
ब्याज			5		5
योग			9		6

टिप्पणी :– 14

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
निर्माण भंडार (भारित औसत मूल्य आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर)					
अन्य सिविल और भवन निर्माण सामग्री		2		0	
अन्य		17		6	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	19	0	6
उप जोड़			19		6
पूर्व प्रदत्त व्यय		143		43	
आज उपार्जित है पर देय नहीं है		0	143	0	43
उप जोड़			143		43
योग			162		49

टिप्पणी :– 15

वस्तु सूचियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
वस्तु सूचियां (भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य जो भी कम हो)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		185		176	
अन्य (भंडारण और कल पुर्जों सहित)		3,492		2,653	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		8		0	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		6	3,691	41	2,870
घटाएं : अन्य संकरणों के लिए प्रावधान			310		312
योग			3,381		2,558

टिप्पणी :– 16

व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
छः माह से अधिक बकाया ऋण					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		1,03,285		1,09,890	
संदिग्ध समझे गए		0	1,03,285	0	1,09,890
अन्य ऋण					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		69,131		1,20,711	
संदिग्ध समझे गए		0	69,131	0	1,20,711
कुल			1,72,416		2,30,701

16.1 व्यापार प्राप्य में ₹ 108082 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 112272 लाख) का विनियामक आस्थगित परिसंपत्ति शामिल है।

टिप्पणी :– 17

नगदी एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
नगदी एवं नगदी समतुल्य					
बैंकों में शेष (बैंकों में आदेश–स्वीप, फ्लैक्सी किस्म की जमाराशियाँ सहित)			7,690		1,556
हस्तगत नकदी			2		3
अन्य बैंकों के पास शेष					
अन्य (लिएन के तहत बैंकों में शेष जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है)			50		50
योग			7,742		1,609

टिप्पणी :– 18

अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		620		553	
अप्रतिभूत		155	788	58	611
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		129		86	
अप्रतिभूत		2	131	1	87
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		3		0	
अप्रतिभूत		0	3	0	0
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		0	0	16	16
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नगद या वस्तु रूप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		351		275	
सप्लीदारों के लिए		404		344	
अन्य के लिए		967	1,722	388	1,021
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		145		79	
जमा किया गया कर		2,446		720	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		209		210	
अन्य जमा राशियां		0	2,800	0	1,009
उप जोड़			5,445		2,745
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		0
कुल अग्रिम			5,437		2,745
कुल ऋण और अग्रिम			5,437		2,745
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन			3		0
ब्याज			1		1
कुल			4		1
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन			2		1
ब्याज			0		0
योग			2		1

टिप्पणी :– 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			1,168		654
उपार्जित ब्याज			3		1
योग			1,171		655

टिप्पणी :- 20

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री		3,02,077		1,87,741	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम		1,019		5,441	
घटाएं :					
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आत्मसात		0	3,03,096	0	1,93,185
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			934		576
यूआई/संतुलन प्रभार			1,359		1,770
परामर्श से आय			881		56
योग			3,06,670		1,95,614

20.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी 2009–14 के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिका दायर की है। अंतिम टैरिफ निर्धारण लंबित होने के कारण टैरिफ राजस्व निर्धारण 2009–14 की अवधि के लिए लागू टैरिफ विनियम, 2009 के अनुसार निर्धारित अनंतिम एएफसी के आधार पर बिक्री राजस्व का निर्धारण किया गया है।

माननीय सीईआरसी ने 18.4.2013 के आदेश द्वारा टिहरी एचईपी के लिए 2008–09 की अवधि का अंतिम टैरिफ आदेश जारी किया है। कंपनी ने विभिन्न मुद्दों पर संशोधन की अपेक्षा से पुनर्विचार याचिका दायर की। सीईआरसी ने अपने दिनांक 07.01.2014 के आदेश द्वारा टैरिफ याचिका का निपटान कर दिया है और कंपनी के कुछ विवादों का समाधान कर दिया है।

व्यथित होकर कंपनी ने एपीटीईएल के समक्ष अपील दायर की है। समीक्षा आदेश में अनुमति दी गई 3578 लाख रु. की राशि के प्रभाव को 1819 लाख रु. की एएफसी पर विचार कर बिक्री राजस्व के रूप में लेखांकित किया गया है।

20.2 कंपनी ने वर्ष 2011–14 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी के टैरिफ निर्धारण के लिए सीईआरसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। कंपनी ने पहली उत्पादन इकाई की सीओडी सहित पूंजी लागत के रूप में सामान्य सुविधाओं की लागत का दावा किया था। सीईआरसी 2011–14 की अवधि के लिए अनंतिम टैरिफ की अनुमति देते हुए कोटेश्वर एचईपी के लिए 18.06.2014 (तुलन पत्र की तारीख के बाद) को टैरिफ आदेश जारी किया था।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 के अनुसार निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए विधिवत लेखापरीक्षित और प्रमाणित दायर किए जाने वाले फार्मों सहित टैरिफ याचिका को दिनांक 30.03.2012 को माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। परियोजना का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो जाने पर टैरिफ फार्मों में संशोधन कर सांविधिक लेखा परीक्षकों से विधिवत प्रमाणित करवा कर दिनांक 02.02.2013 को सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

उक्त आदेश में उपयोगिता लागत चारों उत्पादन इकाइयों में बराबर–बराबर विभाजित कर दिया गया है जिन्होंने 2011–14 अवधि के लिए 22700 लाख रु. टैरिफ कम कर दिया है जिसे लेखांकित कर दिया है।

कंपनी ने 18192 लाख रु. अर्थात 2011–14 की अवधि के दौरान परस्पर सहमत लाभग्राहियों से एकत्रित राशि तथा पूर्वोक्त आदेश में सीईआरसी द्वारा अनुमति दी गई राशि के अंतर को विनियामक देनदारी बना दिया है। उक्त विनियामक देनदारी खुदरा देनदारों के लिए समायोजित कर दी गई है।

टिप्पणी :– 21

अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस 30559.00 रु. शामिल है, (पिछले वर्ष 27783.00 रु.)		26		48	
कर्मचारियों से		348		307	
अन्य		889	1,263	4,366	4,721
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			1		9
किराया प्राप्तियां			124		165
विविध प्राप्तियां			355		303
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनर्आंकन			276		630
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			35		55
विलम्ब भुगतान अधिभार			9,846		1,621
योग			11,901		7,504
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		333		465
योग			11,568		7,039

टिप्पणी :– 22

कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			24,777		23,559
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			1,897		1,429
पेंशन निधि			1,397		1,061
उपदान			1,934		1,607
कल्याण व्यय			378		703
योग			30,183		28,648
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		11,329		9,319
योग			18,854		19,329

टिप्पणी :– 23

वित्तीय लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			54,520		62,214
योग			54,520		62,214
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्लूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत	11.1		1,483		1,704
योग			53,037		60,510

टिप्पणी :– 24

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		143		133	
कर्मचारी आवास किराया		724	867	710	843
दर एवं कर			175		106
विद्युत एवं ईंधन			1,379		1,507
बीमा			1,298		1,113
संचार			345		325
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,367		1,383	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		617		549	
भवन		680		1,001	
अन्य		1,440	4,104	1,664	4,597
यात्रा एवं वाहन			886		898
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			589		1,019
सुरक्षा			2,101		1,885
प्रचार तथा जनसंपर्क			179		208
अन्य सामान्य व्यय			4,788		1,765
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			17		195
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			576		806
अनुसंधान और विकास			241		397
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			35		51
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			0		10
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			1,063		1,726
ग्राहकों को छूट			252		173
योग			19,188		17,613
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		3,818		2,425
योग			15,370		15,188

टिप्पणी :– 25

प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
असंदिग्ध ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
भण्डारों तथा कल–पुर्जों के लिए प्रावधान			0		24
योग			0		24
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
योग			0		24

टिप्पणी :– 26

पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
विविध प्राप्ति		1	1	0	0
व्यय					
कार्मिक व्यय		6		1	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		178		0	
अन्य सामान्य व्यय		1		0	
मूल्यह्रास		911		384	
विज्ञापन और प्रचार		5		0	
विविध – अन्य		9	1,110	41	426
उप–जोड़			1,109		426
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		33		4
योग			1,076		422

टिप्पणी :– 27

कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			13,952		11,953
उप जोड़			13,952		11,953
कुल			13,952		11,953
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			42		38
उप जोड़			42		38
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		9		6
योग			33		32

29. आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया है :

एएस सं.	मानक	विवरण
एएस 1	लेखांकन नीतियों का प्रकटन	• वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों में दी गई हैं। • वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी के स्वामित्व में न आने वाले माल नीति और कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा सतत विकास के संबंध में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन कर दिया है। नोट 29.17 में इस प्रकार के परिवर्तनों को प्रकट कर दिया गया है।
एएस 2	वस्तुओं का मूल्यांकन	• कंपनी जल विद्युत का उत्पादन करने में लगी हुई है। इस प्रकार इसके पास कच्चा माल/डब्ल्यूआईपी नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली जाया का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
एएस 3	नकदी प्रवाह विवरण	• नकदी प्रवाह विवरण, उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 14 में प्रकटित किए गए अनुसार एएस-3 के पैरा 18 (ख) के अनुसार अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग कर वित्तीय विवरण के भाग के रूप में तैयार किया जा रहा है।
एएस 4	तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं	• सीईआरसी ने तुलन पत्र की तारीख के बाद परंतु लेखाओं के अनुमोदन से पूर्व क्रमशः कोटेश्वर एचईपी तथा टिहरी एचपीपी के लिए दिनांक 19.08.2014 और 06.09.214 को आदेश जारी किए हैं। उपर्युक्त आदेशों के प्रभाव को लेखांकित किया गया है।
एएस 5	अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	• ऐसी कोई अतिरिक्त असामान्य आय/ व्यय नहीं है जिसके लिए एएस-5 के तहत प्रकटन आवश्यक है। पूर्व अवधि की मदें (आय और व्यय) नोट 26 में प्रकट कर दी गई है।
एएस 6	मूल्यह्रास लेखांकन	• लेखांकन नीति सं. 8 में कहे गए अनुसार सीईआरसी विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। एएस 6 के तहत यथावश्यक ऐतिहासिक लागत वर्ग के लिए मूल्यह्रास, संचित मूल्यह्रास आदि जैसे आवश्यक प्रकटन नोट सं. 10- अचल परिसंपत्ति में प्रकटित कर दिए गए हैं।
एएस 7	निर्माण अनुबंधों के लिए लेखांकन	• आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी ने निर्माण संबंधी कोई अनुबंध शुरू नहीं किया है। इस प्रकार यह लागू नहीं है।
एएस 8	अनुसंधान और विकास के लिए लेखांकन	• एएस वापस ले लिया गया है।
एएस 9	राजस्व की मान्यता	• कंपनी, सीईआरसी द्वारा जारी किए जाने वाले लंबित अंतिम आदेश के लंबित होने पर टैरिफ विनियमन के आधार पर निर्धारित सीईआरसी और एएफसी (वार्षिक नियत लागत) द्वारा अनुमत अंतिम टैरिफ के आधार पर अपनी बिक्री राजस्व की मान्यता देती रही है।

एएस सं.	नामावली	विवरण
		उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 10(i) से 10(iv) केन्द्रीय कंपनी द्वारा अपनाए गए बिक्री राजस्व तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है।
एएस 10	अचल परिसंपत्तियों के लिए लेखांकन	• खरीदी गई/स्वयं निर्मित स्थिर परिसंपत्तियों की लागत का लेखांकन एएस-10 के अनुसार कर दिया गया है। • लेखांकन अवधि के शुरू और अंत में परिसंपत्तियों के सकल/निवल खाता मूल्य के संबंध में आवश्यक प्रकटन, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जिसमें की गई वृद्धि परित्यक्त/बेची गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है।
एएस 11	विदेशी मुद्रा के विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों का लेखांकन	• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ संख्या 7(i) से 7 (iv) के तहत विदेशी लेन-देन से संबंधित लेखांकन नीतियों का प्रकटन किया गया है।
एएस 12	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक से सिंचाई घटक और पीएचआरवी अनुदान के लिए जीओयूपी से चयन अंशदान प्राप्त किया है। एएस- 12 के अनुसार लेखांकन व्यवहार किया गया है और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3 में प्रकटन किया गया है।
एएस 13	निवेशों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 14	समामेलन के लिए लेखांकन	• लागू नहीं
एएस 15	कर्मचारी प्रसुविधाएं	• कंपनी ईपीएफओ द्वारा घोषित नीति के तहत परिभाषित अंशदान योजना के अनुसार मूल वेतन और महंगाई भत्ते के निश्चित प्रतिशत का अंशदान करती है। साथ ही उपदान (ग्रैच्युटी), छुट्टी वेतन परिभाषित हितलाभ योजना के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा के लिए अंशदान करती है। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बहियों में उपयुक्त राशि का प्रावधान किया जाता है। • विद्युत मंत्रालय (एमओपी) का अनुमोदन लंबित होने की स्थिति में प्रस्तावित सेवानिवृत्ति पेंशन स्कीम के तहत मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।
एएस 16	उधारी लागत	• कंपनी ने वर्ष के दौरान डीडब्ल्यूआईपी लागत के लिए 1403 लाख रु. उधारी लागत स्वीकार की है। उधारी लागत की मान्यता को लेखांकन नीति संख्या 6(i) व 6(ii) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 17	खंड रिपोर्टिंग	• वर्तमान में कंपनी उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित टिहरी और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना से जल विद्युत बनाने में कार्यरत है। इसलिए खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
एएस 18	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	• वर्ष के दौरान संबंद्ध पक्ष का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। तथापि कार्यरत से जुड़े प्रमुख कार्मिकों के पारिश्रमिक को नोट संख्या 29.8 द्वारा प्रकट किया गया है।

एएस नं.	सामग्री	विवरण
एएस 19	पट्टे	• वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई वित्तीय पट्टा कार्यान्वित नहीं किया है। नोट संख्या 29.15 के अनुसार प्रचालन पट्टा लेन–देन का प्रकटन किया गया है।
एएस 20	प्रति शेयर आय	• कंपनी ने कोई महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है, इसलिए बुनियादी और तनूकृत दोनो ईपीएस पूर्ववत रहते है तथा उन्हें लाभ और हानि के विवरण में प्रकट किया गया है।
एएस 21	समेकित वित्तीय विवरण	• टीएचडीसीआईएल की कोई सहायक/धारक कंपनी नहीं है इसलिए यह एएस 21 लागू नहीं है।
एएस 22	आय पर लगने वाले करों का लेखांकन	• वर्ष 2013–14 के दौरान 6920 लाख रु. की आस्थगित कर परिसंपत्ति लेखांकित की गई है।
एएस 23	समेकित वित्तीय विवरणों कंपनी की सहायक कंपनियों में निवेशों का लेखांकन	• कंपनी की कोई सहायक कंपनी नही है, इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 24	प्रचालन बंद करना	• वर्ष के दौरान न तो प्रचालन/न ही कोई गतिविधियां बंद हुई है इसलिए प्रकटन की जरूरत नहीं है।
एएस 25	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	• हालांकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी यह अच्छी प्रशासन प्रणाली के रुप में अंतरिम वित्तीय विवरण तैयार करती रही है।
एएस 26	अमूर्त परिसंपत्तियां	• कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है तथा कुछ समय से उनका परिशोधन करती रही है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8(vi) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 27	संयुक्त खातों में ब्याज की आंतिन रिपोर्टिंग	• कंपनी की कोई कोई संयुक्त उद्यम परियोजना नहीं है। इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 28	परिसंपत्ति का इम्पेयरमेंट	• वर्ष के दौरान परिसंपत्ति का किसी प्रकार कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ है।
एएस 29	प्रावधान आकस्मिक दैनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां	• कंपनी, कंपनी पर वित्तीय जिम्मेदारियों की संभावना/निश्चितता तथा तदनुसार नगदी प्रवाह जैसे भिन्न कारकों को ध्यान में रख कर सर्वोत्तम मूल्यांकन करती है। अन्य मामलों पर आकस्मिक दैनदारी के रूप में विचार किया जाता है।
एएस 30	वित्तीय लिखत, मान्यता और मापन	• संबंधित मानक वित्तीय लिखतों के मापन, करार और प्रकटन के संबंध में है इसलिए ये एएस लागू नहीं है।
एएस 31	वित्तीय लिखत करार	
एएस 32	वित्तीय लिखत प्रकटन	

टिप्पणी सं. – 29 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 328584 लाख रु. (गत वर्ष 178918 लाख रु.) है।

2. आकस्मिक देयताएं

(लाख ₹ में)

		2013–14	2012–13
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है : माध्यस्थम/अदालती मामले	199281	229245
(क)	कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी 3776 लाख रु. है (गत वर्ष 29 लाख रु.)।		
(ख)	विभिन्न माध्यस्थमों/श्रम अदालती मामलों में कंपनी के विरुद्ध डिक्री की गयी 251 लाख रु. (गत वर्ष 260 लाख रु.) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित है और अपीलों के अंतर्गत हैं।		
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए 179 लाख रुपये (गत वर्ष 179 लाख रु.) शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	180	722
(iii)	अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	218	207

3. कंपनी ने 1047 लाख रुपये (गत वर्ष 940 लाख रुपये) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 4 एवं 8 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 4880 लाख रुपये (गत वर्ष 2851 लाख रुपये) "जमा, प्रतिधारण राशि" के रूप में रखा है।

4. उत्तराखंड सरकार के कार्यालयीय प्रयोग के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करवाने के एवज में कंपनी द्वारा उत्तराखंड सरकार से 7800 लाख रु. की राशि वसूल की जानी है। जिलाधीश ने 6449 लाख रु. की मांग की जिसमें 3820 लाख रु. की रायल्टी तथा उस पर ब्याज की शेष राशि शामिल थी। रायल्टी के रूप में पहले मांगी गई 3820 लाख रु. की राशि में से 1900 लाख रु. का भुगतान नकद रूप में किया गया तथा शेष 1920 लाख रु. का समायोजन कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अतिरिक्त स्थान के लिए वसूल की जाने वाली राशि के बाबत किया गया। उक्त 3820 लाख रु. को परियोजना की पूंजीगत परिसंपत्ति माना गया था। जिलाधीश ने पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि तथा अतिरिक्त स्थान के लिए किए गए दावे का समायोजन करने के बाद टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के निर्माण में प्रयुक्त कुल राशि के बाबत और 17002 लाख रु. तथा 2829 लाख रु. की देय रॉयल्टी के मांग नोट को उठाया।

इससे व्यथित होकर कंपनी ने माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की जिनमें इन मांगों को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार उत्तराखंड सरकार को 3749 लाख का बीजी प्रस्तुत किया गया था और उत्तराखंड सरकार के पक्ष में 16082 लाख रु. के बॉंड पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 26.05.2014 के आदेश द्वारा दोनों याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी मांग खारिज कर दी है तथा बीजी/बॉंड वापस करने तथा भुगतान, यदि कोई हो, वापस करने के निदेश दिए है। भुगतान की गई राशि तथा बीजी वापस प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाई शुरू की जा चुकी है। चूंकि अपील की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए आगे और लेखांकन समायोजन नहीं किया गया है।

5. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए शून्य राशि/(गत वर्ष शून्य राशि) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 1405 लाख रु. (गत वर्ष 1704 लाख रु.) है।

6. निदेशक मंडल ने परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम, 2007 को अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है। अभी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से पेंशन निधि के रूप में 1421 लाख रु. का प्रावधान खातों में कर दिया गया है।

7. (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ. सं. 8-3/99-एफसी के तहत उत्तरांचल सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई-186/7-1-2002-300 (450)/99 के तहत कोटेश्वर में 338.832 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.832 हेक्टेयर भूमि में से 337.057 हेक्टेयर पट्टे पर दी गई भूमि का विलेख कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं। इसी प्रकार वीपीएचईपी में पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने अपने दिनांक 29.04.08 के आदेश संख्या 08 बी/यूसीपी /06/312/2008 एफसी/144 के तहत पट्टे पर 8.75 हेक्टेयर वन भूमि मंजूर की है जिसके लिए विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

(ii) विभिन्न परियोजना स्थलों पर फ्री होल्ड भूमि सहित रिहायशी, परियोजना कार्य, कालोनियों, विविध कार्यों आदि के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहीत प्राइवेट भूमि 3358.11 हेक्टेयर है जिसमें से 1388.23 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख अभी कंपनी के नाम किया जाना है।

(iii) टिहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स की शुरूआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8-32/86-एफसी द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8-32/86-एफसी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तरांचल सरकार को निर्देश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 20 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करे। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। अर्जित भूमि, रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रूप में गोदाम, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 28.05.1986 के कार्यालय आदेश संख्या 680/टिहरी डैम प्रोजेक्ट/23-सी-4/टी-16 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है।

8. कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्मित किए गए 43 फ्लैट (गत वर्ष 42 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में हैं। फ्री होल्ड भूमि में [illegible] गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिसे अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

9. (क) संबद्ध पक्षकार - प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

1.	श्री आर.एस.टी. साई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री एस.के. बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
4.	श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)
5.	श्री पी. पी. सिंह	पूर्व निदेशक (वित्त)

(ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – शून्य

(ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को दिया जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते भविष्य निधि में अंशदान तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 248 लाख रु. (गत वर्ष 212 लाख रु.) है।

(घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

10. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और तनुकृत) इस प्रकार है:

	2013-14	2012-13
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	₹ 59632.43	₹ 53137.70
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	मूल : 34435027 तनुकृत : 34435027	मूल : 33660524 तनुकृत : 33660524
प्रतिशेयर आय रुपये मूल तनुकृत	172.88 172.88	157.86 157.86
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों का लेखांकन" के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में 6820 लाख रुपये (गत वर्ष 5372 लाख रुपये) जो कि आस्थगित कर परिसंपत्ति में वृद्धि दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार वर्तमान कर की भाग हैं तथा वापस नहीं की जा सकती है। संभावी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:

₹ लाख में

क्र. सं.		31.03.2014	31.03.2013
	आस्थगित कर देयता (क)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)		
ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	26631	19650
iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	7309	7859
iv)	भंडारों के लिए प्रावधान	166	166
v)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0	0
vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	4315	3826
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (क–ख)	(35421)	(31501)

12. (i) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2013–14 के दौरान 2012–13 के कर पूर्व लाभ के 2% लाभ की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए व्यय करे तदनुसार 1063 लाख रु. का खाते में प्रावधान किया गया है।

(ii) भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह वर्ष 2013–14 के दौरान वर्ष

2012–2013 के लिए कर्योपरांत लाभ का 0.5 प्रतिशत अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर न्यूनतम खर्च करें। व्ययगत न होने वाली अनुसंधान और विकास निधि के रूप में खर्च न की गई राशि का प्रावधान किया गया है। तदनुसार बोर्ड ने वर्ष 2013–14 के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) योजना का अनुमोदन कर दिया था। वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास गतिविधि पर 200 लाख रु. का व्यय किया गया है।

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने के लिए कोई राशि शेष नहीं है।

14. प्रबंधन ने संविदाकार मैसर्स पीबीएल–इंट्राटेक लेनहाइड्रो कंसोर्टियम के माध्यम से जोखिम और लागत तंत्र के तहत कोटेश्वर एचईपी का निर्माण कार्य कार्यान्वित करवाया ताकि परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। कंपनी द्वारा संविदा के तहत भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक भुगतान की गई राशि जोखिम और लागत खाते में डेबिट की गई थी और उसे संविदाकार से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया था। कंपनी ने जोखिम और लागत खाते की बकाया राशि पर 16 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज लगाया था। इस प्रकार लगाया गया ब्याज सीडब्ल्यूआईपी खाते में जमा कर दिया गया था। वर्तमान में संविदा को पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

संविदाकार ने मध्यस्थता की गुहार लगाई है। मध्यस्थता अधिकरण ने दिनांक 17.12.2010 के एवार्ड के पैरा 207 में व्यापक विचार किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कंपनी द्वारा लगाया गया ब्याज नहीं दिया जाना है। साथ ही, उन्होंने संविदाकार का दावा स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने एवार्ड को त्रुटिपूर्ण और अवैध मानकर उसे चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एक रिट याचिका दायर की है। न्यायालय द्वारा उसे जब तक निरस्त न कर दिया जाए, एवार्ड लागू रहेगा। मध्यस्थता अधिकरण के आदेश को देखते हुए पिछले वर्षों में लगाया गया 11718 लाख रु. का ब्याज वापस कर दिया गया है और उसके लिए संगत खाते का रख–रखाव किया जाता है।

15. कंपनी ने कर्मचारियों / कार्यालयों / अतिथि गृहों / अस्थायी शिविरों और वाहनों के लिए परिसर पट्टे / किराए पर लिया है। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। पट्टे पर लिए गए वाहनों के भुगतान के लिए राशि में 801 लाख रु. (गत वर्ष 704 लाख रु.) शामिल है (निवल वसूलियां)।

16. (i) कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान अदा करती है जो इन निधियों का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। परिवार पेंशन स्कीम के अंशदान का भुगतान उचित प्राधिकारियों को किया जाता है। अवधि के लिए 129 लाख रु. (गत वर्ष 123 लाख रु.) के अंशदान को व्यय माना जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि ऐसे निर्धारित अंशदान से सदस्य को न्यूनतम प्रतिफल दर सुनिश्चित करे जैसा कि भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार, एएस15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए गारंटीशुदा सांविधिक ब्याज दरों के कारण हुई 31.03.2014 को देनदारी 129 लाख रु. (गत वर्ष 84 लाख रु.) बैठता है जबकि 103 लाख रु. का राजस्व अधिशेष (गत वर्ष 79 लाख रु.) था।

(ii) "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2014 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के लाभ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों का लाभ" के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006-08)	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8.5%	9%
भावी वेतन वृद्धि	6.5%	6%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	9611	4267	2087	4594	654
ब्याज लागत	769	341	162	368	53
विगत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	555	282	77	245	38
भुगतान किया गया लाभ	(479)	(919)	(58)	(76)	(27)
बीमांकिक (लाभ/हानि)	593	938	118	(467)	(85)
वर्ष के अंत में पीवीओ	11049	4909	2326	4664	632

सारणी –3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	11049	4909	2326	4664	632
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(11049)	(4909)	(2326)	(4664)	(632)
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	(11049)	(4909)	(2326)	(4664)	(632)

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
चालू सेवा लागत	555	282	77	245	39
ब्याज लागत	769	342	162	368	53
विगत सेवा लागत					
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल					
वर्ष के लिए चिन्हित निवल बीमांकित (लाभ)/हानि	593	938	118	(467)	(86)
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ ईडीसी में चिन्हित व्यय	1917	1562	357	146	5

17. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
01	नीति संख्या 4 (v) जो परिसंपत्तियां कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं उन पर पूंजी व्यय को सीडब्ल्यूआईपी में तब तक अलग मद के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कार्यभि पूरी न हो जाए और तत्पश्चात इसे अचल परिसंपत्तियों में दर्शाया जाता है।	अचल परिसंपत्तियों में 2618 लाख रु. की कमी तथा संचयी मूल्यह्रास में 2482 लाख रु. की कमी तथा व्यय/ईडीसी में 153 लाख की वृद्धि
02	नीति संख्या 8 (vi) परिसंपत्तियां कंपनी के स्वामित्व में नहीं है, उनके पूंजी व्यय के परिशोधन से संबंधित है।	
03	नीति संख्या 10 (xii) सीएसआर, एसडी और आर एंड डी से संबंधित है।	सीएसआर तथा एसडी व्ययों में 235 लाख रु. की कमी तथा कर पूर्व लाभ में तदनुरूपी 236 लाख रु. की वृद्धि

18. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत देय उप कर की दर को अधिसूचित नहीं किया है। इसलिए कंपनी ने कारोबार (टर्न ओवर) पर किसी उप कर का प्रावधान नहीं किया है।

19. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

₹ लाख में

		2013-14	2012-13
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	6 *	6
II.	करधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानून मामलों के लिए	—	—
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	—	—
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	3	3
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	3	3

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

20. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है:

₹ लाख में

	विवरण	2013-14	2012-13
क	विदेशी मुद्रा में व्यय (नगद आधार पर)		
	यात्रा	15	11
	परामर्श और व्यावसायिक प्रभार	5060	2499
	प्रबंधन/प्रतिबद्धता शुल्क	0	0
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	2302	2504
	माल का आयात	341	207
	अन्य (अग्रिम)	2818	128
	सम्मेलन के लिए नामांकन		2
	सॉफ्टवेयर की खरीद		0
	कुल	11036.00	5351.00
ख	विदेशी मुद्रा में अर्जन (नगद आधार पर)	0	0.00
ग	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य		
i)	पूंजीगत माल	470	265
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	470.00	265.00
घ	प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य		
i)	आयातित (लाख रुपए में)	1	54
	(%)	0.14	9.9
ii)	देशी (लाख रुपए में)	617	495
	(%)	99.86	90.1
च	निर्यात का मूल्य	0.00	0.00

प्रयुक्त कल-पुर्जों व घटकों का मूल्य

2013-14	आयातित		देशी	
	%	₹	%	₹
टिहरी जो एंड एग	0.16	1.00	99.84	535.00
ऋषिकेश मुख्य				
कोटेश्वर			100.00	82.00
वीपीएचईपी				
कुल		1.00		617.00
2012-13	आयातित		देशी	
	%	₹	%	₹
टिहरी जो एंड एग	9.90	54.00	90.10	495.00
ऋषिकेश मुख्य				
कोटेश्वर				
वीपीएचईपी				
कुल		54.00		495.00

21. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1400 मे.वा.	1400 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा.)- (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मे.वा.	2844 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(a)	पूर्व–वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	शून्य	शून्य
	बिक्री	शून्य	शून्य
(b)	वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	5582.2641620 मि.यू.	4266.03716 मि.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	4887.0780941 मि.यू.	3735.06309 मि.यू.

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है, अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

22. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(श्रीधर पात्रा)	(आर. एस. टी. साई)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507632

दिनांक : 27.06.2014
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण

टीइक्यूबीसी इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार टीइक्यूबीसी इंडिया लिमिटेड तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण और नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13.9.2013 के परिपत्र संख्या 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित तथा भारत में आम तौर पर प्रचलित लेखाकरण मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही और उचित सूचना देते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरण, जो सही और उचित सूचना देते हैं और समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, को तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख-रखाव शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या वित्तीय विवरण समग्र गलतबयानी से मुक्त हैं के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतीकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, तैयार की जा सकें। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा राय के लिए आधार देने के पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

5. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

क) तुलनपत्र के मामले में, कंपनी के कार्यों के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2014 की।

ख) हानि व लाभ लेखे के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लिए, और

ग) नगद प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नगद प्रवाह।

अन्य मामले

6. अपनी रिपोर्ट पर अर्हता लिए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं–

क. नोट संख्या 20.1– अनंतिम आधार पर की जा रही बिक्री के लेखाकरण के संबंध में जिसके टैरिफ (प्रशुल्क) का अंतिम निर्धारण सीईआरसी द्वारा लंबित है।

ख. नोट सं. 29(7) – विभिन्न परियोजनाओं में भूमि की स्थिति के संबंध में जिसके लिए औपचारिकताएं अभी लंबित हैं।

ग. नोट सं. 29(8)–विभिन्न व्यक्तियों तथा अनधिकृत दखलकारों द्वारा किए गए 43 फ्लैटों पर कब्जे (गत वर्ष 43 फ्लैटों) के संबंध में।

घ. नोट सं. 29(14) – कंपनी के पास रखी प्रतिभूति जमा के लिए के एचईपी ठेकेदारों के जोखिम और लागत (मैसर्स पीसीएल) के लिए ठेकेदारों के अग्रिम के समायोजन के संबंध में।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

7. अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2003 द्वारा यथापेक्षित हम उक्त आदेशों के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में विवरण संलग्न करते हैं।

8. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा यथापेक्षित हमारी रिपोर्ट है कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में बहियों की छानबीन से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि खाता और नगदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

(घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ और हानि तथा नगदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

(ङ) निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के (छ) के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक अनर्ह नहीं है।

भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का फर्म पंजीकरण सं. 003202 एन

(अनंत भाटिया) एफसीए
साझेदार
सदस्यता सं. 507832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2014

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक)

1. इसकी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियों की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामलों को छोड़कर इन परिसंपत्तियों के संधारण के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं हमारी राय में आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की कार्यनीति उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. इसकी वस्तु सूचियों के संबंध में :

(क) ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री को छोड़ कर वस्तु सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तु सूची की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गयी वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तु सूची का उचित रिकार्ड रखा है।

3. इसके ऋण के संबंध में:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण लिया और न ही दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ–4 का खंड–(iii) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तु सूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार के प्रकृति के अनुरूप काफी है। लेखपरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला और न ही ऐसी कोई सूचना मिली कि अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

5. हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर हमारे अधिकतम ज्ञान और विश्वास तथा दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–301 में संदर्भित ठेके या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थीं जिन्हें इस धारा के तहत अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान 5,00,000 रु. से अधिक के लेन–देन के औचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

6. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–58–क, 58–कक तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों की समय–समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के काम और प्रकृति के अनुरूप होती है।

8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा – 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2013–14 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रगति पर है।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधानिक देय राशियां उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से

जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य सांविधानिक देय, जो कंपनी पर लागू है, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधानिक देय राशि 31 मार्च, 2014 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित व्यापार कर जमा नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (₹ लाख में	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2007-08	1.02	व्यापार कर	टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 28.02.2011 के निर्धारण आदेश में की गई मांग के विरुद्ध अपील दायर की है।

10. (क) कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई संचयी हानियां नहीं हुई है तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नगद हानियां नहीं हुई थीं।

(ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में भी, जो निर्माणाधीन है, संचयी हानियों का यह खंड लागू नहीं होता।

11. कंपनी ने हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेन्चरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।

13. कंपनी चिट फंड या निधि/म्यूचुअल बेनीफिट फंड/सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xiii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेन्चरों तथा अन्य निवेश का कान नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमें दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी ने दूसरे लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे, वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

17. हमारी राय में तथा समग्र रूप में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर इकट्ठा की गयी निधियों का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।

18. वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी के शेयरों का कोई अभिमानतः आवंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रतिभूति का कोई सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया है।

21. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी को धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की कोई सूचना दी गयी है।

कृते गाटिया एंड गाटिया
सनदी लेखाकार
भारतीय के सनदी लेखाकार संस्थान का
एफआरएन: 003202 एन के लिए

(अनंत गाटिया) एफसीए
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507632

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2014

गोपनीय

संख्या: No. MAB-III/Rep/01-68/Acts-THDC/2014-15/1124

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III,
NEW DELHI

दिनांक / Dated 18 September 2014

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषय: 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।
कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की सावती भेजी जाए।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीया,

(तनूजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Tel : 011 - 23239227, Fax : 011 - 23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की इन वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर उनको व्यावसायिक निकाय, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। ऐसा उल्लेख किया गया है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 27 अगस्त, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच-पड़ताल तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके कारण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत कोई टिप्पणी की जाए या सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
की ओर से

(वनूजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 सितम्बर, 2014

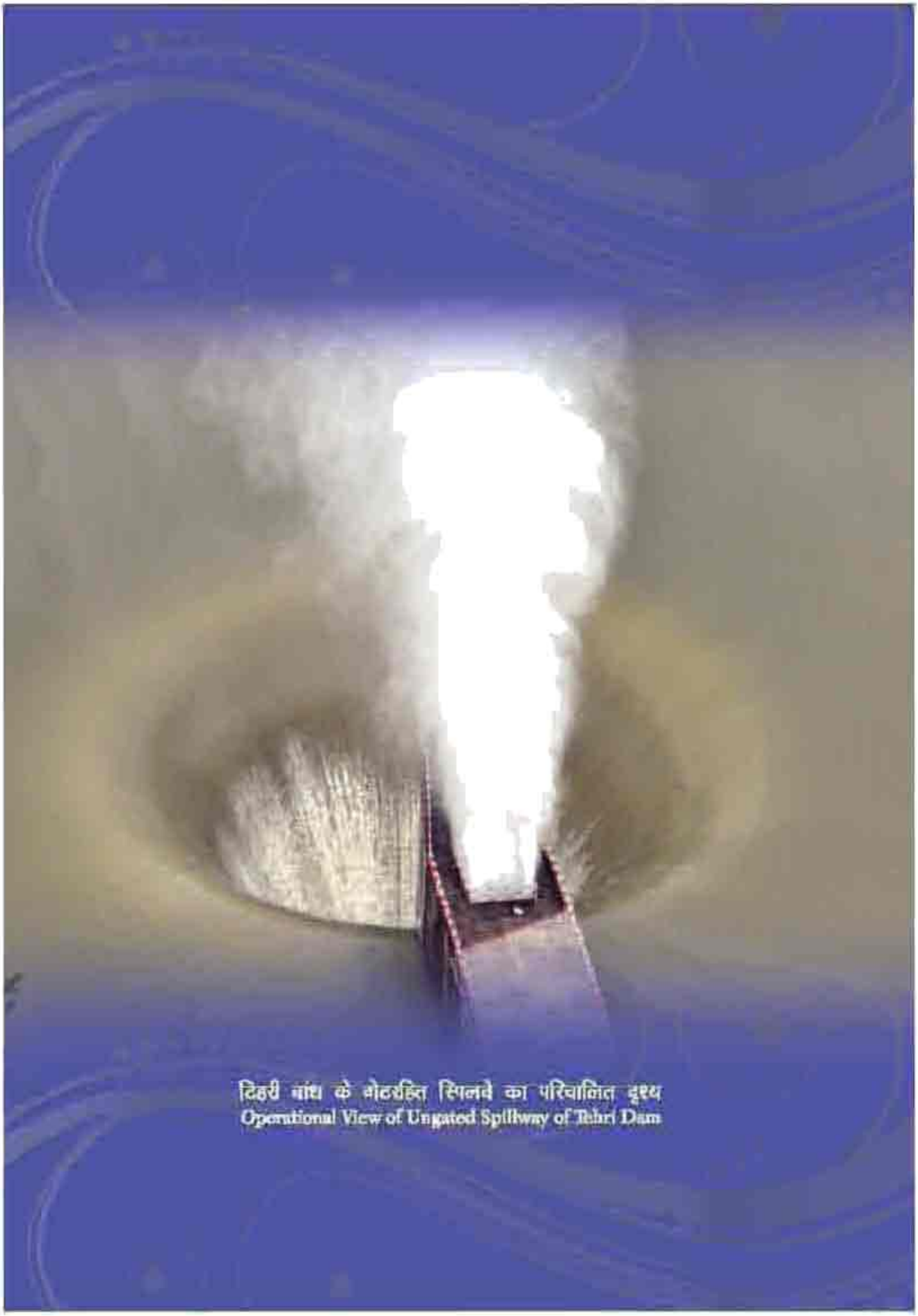

टिहरी बांध के गेटरहित स्पिलवे का परिचालित दृश्य
Operational View of Ungated Spillway of Tehri Dam

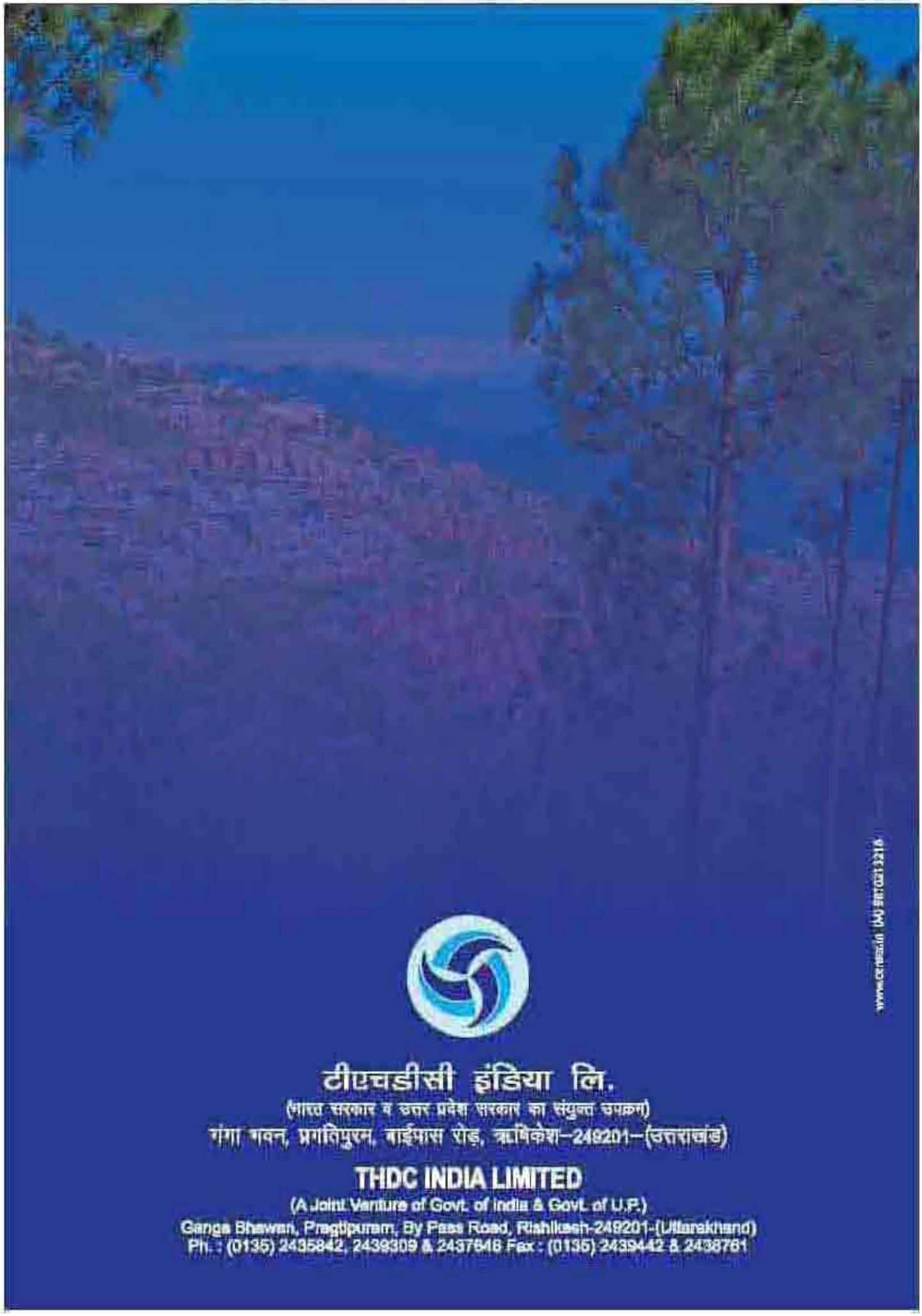

टीएचडीसी इंडिया लि.

(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)

THDC INDIA LIMITED

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

Ganga Bhawan, Pragtipuram, By Pass Road, Rishikesh-249201-(Uttarakhand)

Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2437648 Fax : (0135) 2439442 & 2438761